न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 801 / 2016

1. जेसराज पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– **28.10.2016**

प्रार्थी जेसराज पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व में चक 1 एम. एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 28 / 29 का मुरब्बा नम्बर 17 में 1.645 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसका प्रार्थी मालिक व काबिज है, तथा मौके पर काश्त कर रहा है।

जमाबन्दी के रिकार्ड में मिकर का नाम गलती से जेसाराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति साकिन देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम जेसराज पुत्र कुम्भाराम है। समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का यही नाम अंकित है। अतः रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर जेसाराम पुत्र श्री कुम्भराम के स्थान पर जेसराज पुत्र श्री कुम्भाराम दर्ज किये जानें की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपतहसीलदार चूनावढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक पटवारी रिपोर्ट तथा उपतहसीलदार चूनावढ़ की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा उसके मतदाता पहचान पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम जैसाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर जेसराज पुत्र कुम्भाराम किये जानें की अनुशंषा की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपतहसीलदार चूनावढ़ के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्रार्थी के स्वामित्व में चक 1 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 28 / 29 का मुरब्बा नम्बर 17 में 1.645 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज कागजात माल में प्रार्थी का नाम जैसाराम पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर जेसराज पुत्र कुम्भाराम दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर